न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या : 72/2022/अपील/आर्म्स एक्ट/कोटा
दायरा दिनांक : 19.04.2022
अन्तर्गत धारा : धारा 18 आयुध अधिनियम

उनवान

मोहन लाल पुत्र ग्यारसीलाल जाति गुर्जर, निवासी देवलीकलां, थाना चेचट, जिला कोटा

...अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये पेरोकार सरकार

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री भारत सिंह हाड़ा, अभिभाषक –अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 14.05.2025

अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी के निर्णय क्रमांक न्याय/ 2021/994 दिनांक 30.08.2021 के विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम में इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी के समक्ष अपीलार्थी के द्वारा टोपीदार गन लाईसेंस जारी किये जाने बाबत आयुध अधिनियम, 2016 के नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करने पर पुलिस अधीक्षक, कोटा ग्रामीण के पत्रांक वि0शा0/आर्म्स/7(1)/18/10059 दिनांक 19.11.2018 से आर्म्स लाईसेंस की अनुशंषा नहीं किये जाने से उक्त आवेदन पत्र निर्णय दिनांक 30.08.2021 से खारिज किया गया।

2 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी के निर्णय क्रमांक न्याय/ 2021/994 दिनांक 30.08.2021 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम के तहत अपील इस न्यायालय में पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय निर्णय कानून एवं तथ्यों तथा परिस्थितियों के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट को स्वीकार करने में त्रुटि की है, जबकि अपीलार्थी

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई क्रिमीनल रिकॉर्ड नहीं है तथा न हीं कोई मुकदमा दर्ज है। अपीलार्थी का चरित्र संदिग्ध माने जाने हेतु पत्रावली पर कोई तथ्य ही उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी काश्तकार है, उसे रात दिन खेतों पर फसल की सुरक्षा हेतु आना जाना पड़ता है और ऐसी स्थिति में जंगली जानवरों के आत्म रक्षार्थ उसे हथियार की अत्यधिक आवश्यकता रहती है। इस प्रकार अपीलार्थी का आवेदन पत्र के संबंध में सभी प्रकार से रिकॉर्ड सही होने पर आत्मरक्षार्थ हेतु उसे हथियार की आवश्यकता होने का तथ्य दृष्टिगत रखते हुए आर्म्स लाईसेंस हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाते हुए टोपीदार गन का लाईसेंस जारी किया जाना चाहिए था। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.08.2021 निरस्त फरमाते हुए नियमानुसार टोपीदार गन हेतु आर्म्स लाईसेंस जारी किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट को स्वीकार करने में त्रुटि की है, जबकि अपीलार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई क्रिमीनल रिकॉर्ड नहीं है तथा न हीं कोई मुकदमा दर्ज है। अपीलार्थी का चरित्र संदिग्ध माने जाने हेतु पत्रावली पर कोई तथ्य ही उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह विवेचनात्मक नहीं है। केवल रिपोर्ट में अनुशंषा न हीं किये जाने को आधार मानते हुए प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया है। जबकि अपीलार्थी का आवेदन पत्र के संबंध में सभी प्रकार से रिकॉर्ड सही होने पर आत्मरक्षार्थ हेतु उसे हथियार की आवश्यकता होने का तथ्य दृष्टिगत रखते हुए आर्म्स लाईसेंस हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाते हुए टोपीदार गन का लाईसेंस जारी किया जाना चाहिए था। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.08.2021 निरस्त फरमाते हुए नियमानुसार टोपीदार गन हेतु आर्म्स लाईसेंस जारी किये जाने का आदेश फरमाया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत Kewal Ram vs State Dt. 10-11-2021 Raj. HC-Jodhpur पेश किया।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

5 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुए जाहिर किया कि अपीलार्थी को जिला पुलिस अधीक्षक, कोटा ग्रामीण द्वारा कोई अनुशंषा नहीं करने से ही आवेदन–पत्र खारिज किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

6 प्रस्तुत अपील का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तथा मियाद कन्डोन करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र संलग्न कर प्रस्तुत अपील अवधि मध्य स्वीकार फरमायी जाकर गुणावगुण पर निर्णय किये जाने का अनुरोध किया गया। रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलार्थी को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

7 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन करने से प्रकट होता है कि उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी के समक्ष अपीलार्थी के द्वारा टोपीदार गन लाईसेंस जारी किये जाने बाबत आयुध अधिनियम, 2016 के नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करने पर पुलिस अधीक्षक, कोटा ग्रामीण के पत्रांक वि0शा0/आर्म्स/7(1)/18/10059 दिनांक 19.11.2018 से आर्म्स लाईसेंस की अनुशंषा नहीं किये जाने से उक्त आवेदन पत्र निर्णय दिनांक 30.08.2021 से खारिज किया गया। प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पुलिस अधीक्षक, कोटा ग्रामीण से पत्रांक 820 दिनांक 10.09.2018 से उक्त आवेदन पत्र पर कुल 5 बिन्दुओं पर जांच करवाकर जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। जिसके उपरांत पुलिस अधीक्षक, कोटा ग्रामीण के द्वारा पत्रांक वि0शा0/आर्म्स/7(1)/ 18/0059 दिनांक 19.11.2018 उक्त संबंध में 5 बिन्दुओं पर जांच मय टिप्पणी प्रेषित की गई। प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करने पर उक्त समस्त बिन्दुओं के संबंध में आवेदन पत्र के संबंध में कोई विपरित टिप्पणी नहीं होना प्रकट होता है किंतु अनुशंषा नहीं किये जाने का कथन अंकित किया गया है। इस संबंध में उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी के द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 30.08.2021 से बिना विवेचन किये ही अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज किया गया, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। यहां यह उल्लेख किया जाना भी उचित प्रकट होता है कि पुलिस अधीक्षक, कोटा ग्रामीण के द्वारा रिपोर्ट दिनांक 19.11.2018 को ही प्रेषित की जा चुकी थी, इसके उपरांत अपीलार्थी के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी के यहां दिनांक 30.08.2021

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही दिनांक 30.08.2021 को आवेदन पत्र खारिज किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बिना विवेचन के पारित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। लिहाजा अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.08.2021 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर, परीक्षण/जांच कर प्रकरण मे तर्कसंगत एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

8 निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा